


रतन लाल वर्मा वनाम राधालाल वर्मा

सु. ११११११ नं. १६३ सन २०१८

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
१. २०१८	<p>बारीगण श्री गौर लं पारिके अलिआफउ श्री देवदत्त किशोरु बाद-पउ पेरा-उफा, रिफोर् लीगदर ही हुयी ही बाद-पउ इनी किफा कारे। उत्तिवारी लं। व २ श्री गौर लं श्री रतनलाल हुण्ड के नकालतगका पेरा किफा। बारीगण व उत्तिवारी लं। व २५ हुकं लउ कदालत केम्प केरगदेल के उपलिनत काकर रावीगका पेरा किफा लं नात तलडीउ आकिल पयावली किफा गका। उत्तिवारी लं ३, ५ का हित लुरतित खरु हारे तलरी नंद श्री जानी है</p> <p>इकारे द्वारा नदल उकच पत्र हुनी गरी, चन्देरे केरान नदल हुताबिउ रावीगका बाद-पउ रिफोरी करे का करत किफा। इकारे द्वारा रिफोरी का बनलोकन किफा। बारीगण द्वारा बाद-पउ के पारिके विवारीत भाराजी-अउ १ MDR खाता लं. ६३/६३ जं. स. २०१२-१५ के मिति लुख काराजी ६-३१३ है लं उत्तिवारी लं। के नाठ इनी है उलके कपना पेतउ हउ-दिलसा डोन के कारण खाता किफावत व कोषणा का कुतुलक काका है। शिरालत काराजी के काउफ लनरुप अउ १ MDR श्री पन्त खतौनी पेरा श्री है। बारीगण व उत्तिवारी लं। व २ फउ ही परिवार के लदल पित्त-पु व हुयी है। उत्ति. लं २ के कपना हउ-दिलसा का पारिकेगा बारी गण व उत्तिवारी लं। के पन के कर किफा है व बारीगण व उत्तिवारी लं। हुताबिउ रावीगका उरु-गत काराजी अउ कर हं है पनकारे के कदक कन कोर विवारीत ही है। बाद-पउ का कोर विराम इकारे लकन रही जाने लं बाद-पउ हुताबिउ रावीगका रिफोरी किफा कारा उगाकेमित है।</p> <p>कित: उपेश मन्त विवेकन के काफार पर बाउ</p>	<p>रतनलाल हरि श्री ३</p> 

(Signature)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, हनुमानगढ़

कैम्प कोर्ट का स्थान
नौरो देहर

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस

- 1- मदन लाल | पिसरान श्री रामलाल जाति जाट निवासी चक हरीपुरा तहसील व जिला
2- हरी सिंह | हनुमानगढ़। -वादीगण

बनाम

- 1- राम लाल पुत्र श्री प्रमान जाति जाट निवासी चक हरीपुरा तहसील व जिला
हनुमानगढ़।
2- विमला पत्नि जगदीश पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
जिला हनुमानगढ़।
3- ओ. बी.सी. बैंक शाखा हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक।
4- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजस्व हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

मुकदमा नम्बर:- 169/2018

निर्णय दिनांक:- 4.6.18

वादीगण की ओर से श्री देवदत्त किशोर की
और प्रतिवादीगण की ओर से श्री मदनलाल कुण्ड की उपस्थिति
में इस वाद में आज दिनांक 4.6.2018 को कैम्प नौरो देहर (नाम
पीठासीन अधिकारी) सुरेन्द्र सिंह, पुरोहित (RAS) उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़
के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि डिक्री की जाती
है कि :-

- 1- चक न. 7 एन डी आर की 6.313 हैक्टर संयुक्त हिन्दू परिवार की जददी जायदाद होने
के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं-1 को अच्छी मन्दी किस्म के अनुसार बहिस्सा बराबर
का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मुताबिक घरू बंटवारा खाता अलग

कायम कर हिस्सा वादी सं-1 मदन लाल को चक 7 एन डी आर ए पं.न. 167 / 337(15)
कि. न.16(195), 17,18 सालम 23 / 2 ता 25 / 2 प्रत्येक (228), पं.न.169 / 338(25)
8 अ.दि. 5-7-18
(2)9,10 सालम कुल किता 9 तादादी 2.144 हैक्टर मय गैर मुम. खाला, रास्ता ख- हिस्सा
वादी सं- 2 हरी सिंह को चक 7 एन डी आर ए पं.न. 167 / 337 (15) किला न. 7,8,
13 ता 15 सालम, 16(058) पं.न. 168 / 338(24)कि.न. 5 / 2(063) पं.न. 169 / 338(25) 1
ता 3, कुल किता 10 तादादी 2.145 हैक्टर मय गैर मुम. खाला, रास्ता ग- हिस्सा
प्रतिवादी सं-1 राम लाल को चक 7 एन डी आर ए पं.न. 167 / 338(23)कि.न. 6 ता 8,
13 ता 15 सालम पं.न. 169 / 338(25) कि.न.4, 7 कुल किता 8 तादादी 2.024 हैक्टर मय
गैर मुम. खाला, रास्ता दर्ज की जावे व इसी कदर रकम राज अलग-अलग कायम की जावे
यह आज तारीख 4.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और
न्यायालय मुद्रा लगाकर जारी की गयी ।

पीठासीन अधिकारी

उपखण्डाधिकारी एवं सहायक कलैक्टर

हनुमानगढ़ ।